

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/3065 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 06 / 2022

श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 14.03.2022 से 04.04.2022 तक 22 दिन का अर्जित अवकाश इस चेतावनी के साथ स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में अनुपस्थिति की सूचना समय पर देंगे जिससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो एवं वेतन का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सही / -

(विकास चंद्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/3066 /

जबलपुर, दिनांक 30 / 06 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री नारायण सिंह, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


30/6/22

(विकास चंद्र मिश्रा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)

३